



# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2021/एफसीए/प्रमुवसं./ 4561

दिनांक 17/11/23

मुख्य वन संरक्षक,  
उदयपुर।

विषय:- Construction of widening strengthening on SH-32 A from Jhameshwarji to Jagat road KM Stone No. 67/0 to 80/0 Tehsil - Girwa, District- Udaipur (Rjasthan ). (Proposal No. FP/RJ/ROAD/149560/2021)

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक 9037 दिनांक 28.12.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ /स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई वैकल्पिक मार्ग संलग्न नहीं किये गये हैं और न ही उप वन संरक्षक द्वारा वैकल्पिक मार्गों का परीक्षण किया गया है।
2. KML का परीक्षण किये जाने पर पाया कि उक्त मार्ग का निर्माण 2005 के बाद किया गया है यूजर ऐजेन्सी द्वारा तत्समय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत स्वीकृति ली गयी अथवा नहीं। यदि नहीं तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 1.21 के अनुसार कार्यवाही करावें।
3. उप वन संरक्षक, उदयपुर द्वारा 6.75 है० के वृक्षारोपण हेतु एन.एफ.एल. पर 1350 पौधे (200 पौधे प्रति हैक्टेयर) हेतु 2115530.00 रुपये एवं अवशेष 5400 पौधों के वृक्षारोपण हेतु 40 है० (135 पौधे प्रति है०) की योजना राशि 3709372 की प्रस्तावित की गयी है उक्त राशि प्रचलित मॉडल रेट (NFL- 198000/- एवं DFL- 167000/-) से अधिक है। उप वन संरक्षक पारिभ्रमित वन भूमि में वही वृक्षारोपण का चयन करे जहाँ वृक्ष घनत्व 0 से 0.4 का हो। अपेक्षित कार्यवाही किया जाकर संशोधित क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की जावे।

उक्त आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

( दिनेश कुमार गुप्ता )  
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2021/एफसीए/प्रमुवसं./ 4562-63

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, उदयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड प्रथम उदयपुर।

( दिनेश कुमार गुप्ता )  
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर